न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री नमित मेहता, आई.ए.एस
पंचायत निगरानी :: 45/2017 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00388

| प्रार्थी :- | बनाम | अप्रार्थीगण :- |
|---|---|---|
| 1. गोपालराम पुत्र भगवान चौकीदार के कायम मुकाम<br>1/1. गोरधन पुत्र गोपाल<br>1/2. गजरीबाई बेवा गोपाल<br>1/3. प्रेम पुत्री गोपालराम<br>1/4. मीरा पुत्री गोपालराम<br>1/5. मैना पुत्री गोपालराम<br>तमाम जातिगण बावरी निवासी गौशाला के पास जैतारण | | 1. श्रवण पुत्र कुनाराम जाति चौकीदार निवासी पावनधाम के पास जैतारण<br>2. नगर पालिका जैतारण जरिये अधिशाषी अभियंता नगर पालिका जैतारण |

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :- प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम पंचारिया

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 24.05.2022

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत जैतारण द्वारा प्रस्ताव दिनांक 13.08.1961, पत्रावली संख्या 5/60-61 की पालना में जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 30.06.1964 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि ग्राम पंचायत जैतारण द्वारा दिनांक 13.08.1961 को प्रस्ताव लेकर व बोली लगाकर जैर निगरानी में वर्णित मकान को कुनाराम के हक में ऊँची बोली लगाकर जैर निगरानी में वर्णित मकान को कुनाराम के पक्ष में नीलामी के तहत पट्टा जारी कर दिया गया जबकि ग्राम पंचायत के पास उक्त भूमि उपलब्ध ही नहीं थी क्योंकि उक्त भूखण्ड पर पहले से ही प्रार्थी के पिता भगवान का मकान बना हुआ था व उक्त मकान भगवान चौकीदार की पैतृक संपति थी व उक्त पैतृक संपति पर जो नियमन का आदेश पारित कर नियमन के जरिये कुनाराम को जो पट्टा दिया गया है वो पट्टा पंचायत नियमों के विरूद्ध था इस कारण से पंचायत द्वारा 13.08.1961 व इससे पूर्व व बाद में जो भी कार्यवाही की गई है वो विधि के प्रतिकूल है इस कारण से आदेश निरस्तनीय है। मिसल संख्या 05 में जो कार्यवाही की गई उसकी मौके पर कोई बोली नहीं लगाई गई जो विधि सम्मत नहीं है अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। पट्टा जारी

जिला कलेक्टर, पाली

करने हेतु नियमन की कार्यवाही प्रक्रियापूर्ण नहीं की गई। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा न तो नोटिस प्रोपर जारी किये गये और ना ही ग्राम पंचायत द्वारा यह तय किया गया कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि उपलब्ध है या नही। यह है कि माफिक नियमन के मौके पर किसी भी प्रकार से कोई रकम नियमानुसार प्राप्त नहीं की व नियमन के बाद में जो राशि देय है उसके अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की गई। उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता की संयुक्त थी तो पूर्ण कब्जे की कार्यवाही के आधार पर कार्यवाही कर पट्टा ओदश पारित किया जाना चाहिए था। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। यह है कि नियमन की कार्यवाही की पुष्टि नहीं करवाई गई और न ही पुष्टि हेतु नियमानुसार उपखण्ड अधिकारी के पास ही भेजा गया। नियमन की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई ना ही बोली लगाने वालों के नाम दर्ज किये गये। जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी का कब्जा है एवं उपयोग व उपभोग भी कर रहा है। प्रार्थी गोपालराम व अप्रार्थी श्रवण के पिता दोनों सगे भाई है। पट्टा श्री कुनाराम के नाम से था जबकि संपति प्रार्थी व कुनाराम के पिता भगवान चौकीदार दोनों की संयुक्त थी जहां कब्जा भी मेरा था। अतः निगरानी स्वीकार कर जैर आराजी पट्टा निरस्तनीय है।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस प्रार्थी की बहस का खंडन करते हुए बताया कि जैर आराजी पट्टा मेरे पिता ने नीलामी में ऊँची बोली से लिया है। तत्कालीन ग्राम पंचायत जैतारण द्वारा भूखण्ड संख्या 25 की भूमि को खुली नीलामी में बेचे जाने पर ऊँची बोली पर अप्रार्थी के पिता द्वारा उपरोक्त आबादी भूमि क्रय की गई वक्त खरीद से उक्त भूमि पर अप्रार्थी के पिता ने रहवासीय मकान बनाया जो उसके स्वअर्जित सम्पति है जिसमें प्रार्थी एवं उसके पिता का कोई अधिकार निहित नहीं है केवलमात्र प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की आबादी भूमि व मकान को जबरदस्ती हड़पने की नियत से झूठी निगरानी प्रस्तुत की जबकि पट्टा संख्या 25 की भूमि दिनांक 13.08.1961 को ग्राम पंचायत जैतारण की खुली नीलामी में खरीद की जिसमें प्रार्थी के कोई अधिकार निहित नहीं होने से एवं ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अनुसार अपने आबादी भूखण्ड की भूमि नीलामी के अन्तर्गत बेचाण की जिसमें अप्रार्थी द्वारा अपने प्रदत्त अधिकारों के तहत मालिकाना अधिकार निहित है। इस सम्बन्ध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व.ख.) जैतारण जिला पाली के दीवानी मूल वाद संख्या 60/2012 (25/09) बअनवान गोपाल पुत्र भगवान के कायम मुकाम बनाम श्रवण पुत्र कुनाराम निर्णय दिनांक 11.12.2013 के अनुसार प्लॉट प्रतिवादी के पिता का स्वअर्जित पट्टा सुदा है जो नीलामी में छुड़ाया गया था जिसका पट्टा दिनांक 30.06.1964 को जारी हुआ। पत्रावाली पर पारिवारिक बंटवारे का कोई दस्तावेज अथवा लिखत पेश नहीं हुआ न ही विवादित संपति पैतृक होने के कोई साक्ष्य पेश हुए। अतः वाद-वादी अस्वीकार कर खारिज किया गया। इसलिए प्रार्थी द्वारा आधारहीन निगरानी प्रस्तुत की गई जो काबिले खारिज है।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर उस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रार्थी ने ग्राम पचांयत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे को खारिज किये जाने के संबंध में मुख्य बिन्दु यह बताया कि उक्त भूखण्ड पर पहले से ही प्रार्थी के पिता भगवान का मकान बना हुआ था, उक्त मकान भगवान चौकीदार की पैतृक संपति थी, जबकि कुनाराम को जो पट्टा दिया गया है वह पट्टा पंचायत नियमों के विरूद्ध था इस कारण से पंचायत द्वारा 13.08.1961 व इससे पूर्व व बाद में जो भी कार्यवाही की गई है वो विधि के प्रतिकूल है तथा मिसल संख्या 05 में जो कार्यवाही की गई उसकी मौके पर कोई बोली नहीं लगाई गई जो बिधि सम्मत नहीं होने से जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। परन्तु प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है तथा न ही इस संबंध में पत्रावली पर ऐसे कोई

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

साक्ष्य उपलब्ध है जिससे यह साबित होता हो कि जैर निगरानी आराजी पक्षकारान की पैतृक सम्पति थी, साथ ही पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करने में कोई गंभीर अनियमितता कारित की हो ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये। इस सम्बन्ध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व. ख.) जैतारण जिला पाली के दीवानी मूल वाद संख्या 60 / 2012 (25 / 09) बअनवान गोपाल पुत्र भगवान के कायम मुकाम बनाम श्रवण पुत्र कुनाराम में भी विस्तृत निर्णय दिनांक 11.12.2013 के अनुसार प्लॉट प्रतिवादी के पिता का स्वअर्जित पट्टा सुदा है जो नीलामी में छुड़ाया गया था जिसका पट्टा दिनांक 30.06.1964 को जारी हुआ। पत्रावाली पर पारिवारिक बंटवारे का कोई दस्तावेज अथवा लिखत पेश नहीं हुआ न ही विवादित संपति पैतृक होने के कोई साक्ष्य पेश हुए। इसलिए वाद–वादी अस्वीकार कर खारिज किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने एवं सिविल न्यायालय द्वारा भी निगरानी में उठाये गये सभी बिन्दुओं पर पूर्व में ही विस्तृत निर्णय पारित करने के कारण काबिले खारिज है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली